

पत्रांक
संख्या में

मान्यता (बै0)/आर0टी0ई0/

2071-75

/2020-21

अध्यक्ष/प्रबंधक/संस्थापक,
शिवालिक गंगेज पब्लिक जू0हा0स्कूल, खानपुर रोड
विकासखण्ड - खानपुर
जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

विषय

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 17 में उपनियम (6) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदय्या,

आपके आवेदन पत्र और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के तारखीक में मान्यता समिति के बैठक दिनांक 23.09.2019 में किये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय, शिवालिक गंगेज पब्लिक जू0हा0स्कूल, खानपुर रोड विकासखण्ड-खानपुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड का कक्षा 01 से 08 तक की विद्यालय संचालन हेतु पांच वर्षों दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2024 तक अवधि के लिये स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अधीन होगी-

- मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा-8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
- विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
- विद्यालय अपनी कक्षा-1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग वंशित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा तथा कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिये भी किया जायेगा।
- उपरोक्त कम संख्या-3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अलाके में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिये विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालित करेगा।
- संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जायेगा तथा किसी भी बच्चे पर परीक्षा या उसके माता-पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जायेगा।
- विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा घरेलू कारणों के स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
- विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जायेंगे -
(एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में सेकंकर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
(दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जायेगा।
(तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिये किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
(चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे का नियम 35 के उपनियम के अलाके में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
(पांच) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में उनके लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यता पर अनुपालन किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के तहत काम के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निजी/अन्य संस्था में योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
(सात) शिक्षक, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व निर्वहन करेंगे, और
(आठ) शिक्षक, निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।

8.

विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

9.

विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के अलाके में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखेगा।

10.

विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्घृत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान निम्नवत् होगा-

- विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल.
- कुल निर्मित क्षेत्र.
- खेल के मैदान का क्षेत्र.
- कक्षा-कक्षाओं की कुल संख्या



Supathe
PRINCIPAL

SHIVALIK GANGES PUBLIC SCHOOL
KHANPUR ROAD, BHAGWANPUR

Supathe
SHIVALIK Ganges Public School
Manager

- प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष,
- बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय;
- पेयजल की सुविधा;
- मध्याह्न भोजन के लिये रसोई-घर,
- बाधारहित पहुँच,
- शिक्षण अधिगम सामग्री / खेल-कूद उपकरण / पुस्तकालय की उपलब्धता।

- 11 इन मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।
- 12 विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन / संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।
- 13 विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
- 14 विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये संचालित नहीं होगा।
- 15 लेखा का अंकेषा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी को एक प्रति प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजा जायेगी।
- 16 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 124 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अविलंब एवं उद्बुल किया जाए।
- 17 राज्य सरकार / मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर मॉग्ये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
- 18 यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाये।
- 19 परिशिष्ट-चार के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
- 20 यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं को अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह कि-

- 1- यह कि शासनादेश संख्या 588/XXUTV-3/17/01(11) 2017 के अनुपालन में जनपद के अन्तर्गत समस्त विद्यालय हज़ी भी छात्र/छात्रा के विद्यालय में प्रवेश हो जाने के उपरान्त प्रवेश शुल्क दोबारा न लिया जाये तथा कोशन नती के नाम से कोई धनराशि न ली जाये साथ ही आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि अभिभावकों/छात्र-छात्राओं से ऐसा कोई शुल्क लिया गया हो तो वाचित धनराशि अभिभावकों को तत्काल वापस की जाये।
- 2- प्रवेश पुस्तकें और मणवेश आदि विद्यालय प्रांगण में टेन्ट लगाकर नहीं बेची जायेगी।
- 3- जिला परियोजना कार्यालय-सर्व शिक्षा अभियान हरिद्वार द्वारा उपलब्ध कराये गये "डायस" प्रपत्र को भरना अनिवार्य होगा।
- 4- विद्यालय का निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(प्रौशिक्ष) हरिद्वार के द्वारा एक वर्ष के अन्दर किया जा सकता है आर0टी0ई0 के मानक पूर्ण न होने पर मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

भवदीय

(प्रहमपाल सिंह)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रौशिक्ष)
हरिद्वार।

90430 मान्यता (बे0)/आर0टी0ई0/2071-75/2020-21 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार।
- 2- जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
- 3- जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, हरिद्वार।
- 4- खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड जनपद हरिद्वार।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रौशिक्ष)
हरिद्वार।



Supatke

PRINCIPAL
SHIVALIK GANGES PUBLIC SCHOOL
KHANPUR ROAD, BHAGWANPUR

Supatke
Shivalik Ganges Public School
Manager